कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, फैजाबाद।

पत्रांक 635 / 14–10 / दिनांक: अगस्त 24 / 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–फैजाबाद में फैजाबाद–इलाहाबाद रा0 मा0 संख्या–330 (ओल्ड–96) के किमी. 12.600 से किमी0 12.950 तक टोल प्लाजा की स्थापना हेतु 0.840 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव बाधक 201 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 493/11–सी–एफ0 पी0 यू0 पी0 रोड/19199/2016 दिनांक 21–8–2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में दर्शित चारों बिन्दुओं की आपत्ति का निराकरण करते हुए वांछित सभी बिन्दुओं की सूचना निर्धारित टेबुलर फार्म के बिन्दु संख्या–3, 6, 8, एंव 9 में संशोधित कर सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर आपकी सेवा में 3 प्रतियों में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 रवि कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग, फैजाबाद।

पत्रांक / उक्त दिनांकित

1–प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

2–प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, रा0 मा0 लो0 नि0 वि0,सुलतानपुर को उनके पत्रांक 1399/3 काम 2 ई0 पी0 सी0 /2017 दिनांक 22–8–2017 के कम में प्रेषित।

(डा0 रवि कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग, फैजाबाद।

Proposed Forest Land Diversion of 0.84 ha with felling of 201 number of trees for Establishment of Toll Plaza on Faizabad-Allahabad NH-330 (Old NH-96) between Km. 12.600 to Km. 12.950 in Faizabad District of Uttar Pradesh

Observ No	Observation of GOI	Reply
1.	Reasons / Justification of location of Toll Plaza at the proposed site are not provided with the proposal.	स्वीकृत स्थल पर प्रस्तावित टोल प्लाजा स्थल पर अधिक चौड़ाई की आवश्यकता होने के कारण एवं आबादी भाग होने एवं तमसा नदी सेतु के पहुँच मार्ग के अति निकट होने के कारण ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू रूप से नहीं रह पाता एवं सदैव जाम बने रहने की संभावना बनी रहती । अत लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियो के निर्देशन पर टोल प्लाजा निकटतम दूरी पर शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजा गया, जिसकी अनुमति भारत सरकार, मोर्थ के फाईल सं0-NH-12014/ 11/2014/UP/NH-II दिनांक 18.04 2016 द्वारा प्रदान की गयी है, तदनुसार टोल प्लाजा हेतु प्रस्तावित स्थल का चयन कर प्रस्ताव भेजा गया है।
2.	The alternatives of locating the toll plaza analysed/examined and there results have also not been provided with the proposal	प्रस्तावित स्थल का चयन लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार किया गया है कि संदर्भित भाग से गुजरने वाले अधिकतम वाहन टोल प्लाजा से होकर गुजरें, जिससे कि अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो सके। उक्त आधार पर ही टोल प्लाजा लोकेशन प्रस्तावित की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, सड़क परिवाहन एंव राज मार्ग मन्त्रालय, नई दिल्ली (मोर्थ) के फाईल सं0-NH-12014/11/2014/ UP/NH-II दिनांक 18.04.2016 द्वारा राष्ट्रीय मार्ग के किमी0 13 (चैनेज 12.600 से 12.950) में ही टोल प्लाजा की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है (छाया प्रति संलग्न) अत अन्य कोई विकल्प पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।
3.	The uploaded Survey of India topo sheet and geo referenced map for proposed forest land diversion has not been authenticated by the concerned District Level forest official.	भारत सरकार के बिन्दु सं0-3 पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागीय वनाधिकारी एंव प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1/50000 माप की रंगीन टोपो शीट एंव (Geo Refferenced Digital Map) आनलाइन भाग- 1 में अपलोड कर दिया गया है।
4.	Forest land gazette notification is not legible, un authenticated and the concerned portion of notification relevant for the proposal has not been marked/highlighted.	नोटिफिकेशन की सुस्पष्ट फोटो प्रति संलग्न कर दी गई है साथ ही उसे हाईलाईट भी कर दिया गया है।
5.	The forest area calculation submitted with the proposal is incorrect and is not as per the layout plan.	टोल प्लाजा निर्माण हेतु भूमि आवश्यकता मात्र 34 मी0 की ही है जो कि सड़क सीमा के अन्तर्गत ही है। फारमेंशन चौड़ाई 10 मी0 छोड़कर शेष मार्ग के दोनों ओर 12-12 मीटर चौड़ाई एंव 350 मी0 लम्बाई ली गइ है और इसी के अनुसार ही गणना भी की गई है जो कि सही है।
6.	The information provided at Sr. No. 13(i) part II shows proposed compensatory afforestation on equivalent forest land which is contradictory to provisions contained in para 3.2 of Handbook of FCA. The Compensatory Afforestation Scheme should conform to the guidlines provided.	भारत सरकार की गाईड लाइन्स के अनुसार के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संशोधित चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में तैयार कर संलग्न कर दिया गया है।
7.	The location of proposed CA is liner strip of the same road which may be widened in future and thus needs revision.	प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण मार्ग वृक्षारोपण (लीनियर वृक्षा0) के स्थान आरक्षित वन ब्लाक में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी के0 एम0 एल0 फाईल मय जी0 पी0 एस0 लोकेशन सहित संलग्न कर भेजा जा रहा है।
8.	The language of certificate under FRA 2006 enclosed with the proposal is not as per format.	वनाधिकार कानून-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी, फैजाबाद की मुहर लगा दी गई है।
9.	The legal status of forest land has not been mentioned in Site Inspection Report submitted with the proposal.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-27 पर सलग्नं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि की कानूनी स्थिति अंकित कर संशोधित रिपोर्ट सलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, फैजाबाद।
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, फैजाबाद